

खाद्य मुद्रास्फीति की व्यवस्था

नरेश मिनोचा

किसानों, मध्यस्थों और उपभोक्ताओं के प्रतिकूल हितों को बचाना भारत सरकार के लिए टेढ़ी खीर है चाहे मूल्य मंदे ही क्यों न हों। हाल ही के वर्षों में यह समानता लाने के प्रयास दुःस्वज हैं क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति निरंतरता और अधिकता दर्शा रही है।

इन सब कारणों से कैबिनेट सचिव ने फरवरी, 2011 में एक इन्टर मिनिस्ट्रीलियर ग्रुप का गठन किया ताकि समग्र मुद्रास्फीति पर नजर रखी जा सके और विशेष ध्यान प्रारंभिक खाद्य वस्तुओं पर दिया गया। खाद्य मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2010 में दोहरे अंक में थी जो बाद में कम हो गई। वर्ष 2010 के दिसम्बर, 25 को समाप्त सप्ताह के दौरान मुद्रास्फीति 18.32% थी।

डब्ल्यूपीआई पर नवीनतम कार्यालयीन विज्ञप्ति पर दर्शाया गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति की दर 30 अप्रैल, 2011 को समाप्त सप्ताह में 7.7% थी। फलों की मुद्रास्फीति दर 35.43% के चिंताजनक स्तर पर थी। वार्षिक मुद्रास्फीति की दर, जिसे बिन्दु से बिन्दु आधार पर गिना गया, यह उसी अवधि के लिए 11.96% थी। किन्तु खाद्य मूल्यों को व्यवस्थित करना ही संतोषजनक नहीं है क्योंकि इनमें जल्दी जल्दी अत्यधिक वृद्धि होती है।

अमीर और गरीब देशों में लगभग सहमति है कि खाद्य मुद्रास्फीति बनी रहेगी इसके कई कारण हैं और इसका मुकाबला कारगर ढंग से करना होगा।

अमीरों में, अमरीका देश ने वर्ष 2008 में 18 घरेलू खाद्य और पौष्क संबंधी कार्यक्रमों पर 62.5 बिलियन डॉलर से अधिक व्यय किए ताकि खाद्य मुद्रास्फीति से प्रभावित लोगों को अलग किया जा सके।

खाद्य मूल्य गति को प्रभावित करने वाले पहलुओं में बढ़ती हुई जनसंख्या, परिवर्तित खाद्य आदतें जिनसे संसाधित आहारों और मीट की मांग बढ़ती है, जैव तेलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य संसाधनों को बांटना तथा मौसम में शीघ्र और संवेदनशील परिवर्तन आदि शामिल है।

खाद्य मुद्रास्फीति के पारम्परिक और स्थाई पहलुओं में उर्जा आधारित आधुनिक कृषि निहित है। ट्रैक्टर और वाटर पम्पिंग के लिए डीजल कच्चे तेल से आता है जिसका नियंत्रण मूल्य उत्पादक संघ ओपेक द्वारा किया जाता है और स्पैकुलेटर जिस एक्सचेंजों के माध्यम से कार्य करते हैं।

सिंचाई में उपयोग होने वाली बिजली में भी दरों की जल्दी-जल्दी वृद्धि की जाती है क्योंकि प्राकृतिक गैस और कोयले के मूल्यों में शीघ्र वृद्धि हो रही है। ऐसा ही मामला उर्वरक का है विशेषकर पौटाश जिसके मूल्य दो अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन संघों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

भारत प्रमुख रूप से आयातित कच्चे तेल और गैस, पौटाश, सल्फर, कच्चे फास्फेट और इनके संबंधित उत्पादों पर निर्भर है, इस प्रकार खाद्य मुद्रास्फीति आंशिक रूप से विदेश से नियंत्रित होती है।

जब सरकार मूलभूत उपकरणों और कृषि में उपयोग सेवाओं के वृद्धि के प्रभाव को संतुलित करती है तो यह तेल और गैस आर्थिक सहायता, उर्वरक आर्थिक सहायता और बिजली पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। भारतीय खाद्य मूल्यों पर उर्वरक और कच्ची सामग्री हेतु विश्व बाजार में परिवर्तन का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा क्योंकि यह न्यूट्रीएंट आधारित आर्थिक सहायता योजना है जो उर्वरक कम्पनियों को किसानों से बढ़े हुए मूल्य लेने की अनुमति देती है।

विदेशी मूल के उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि के अतिरिक्त किसान को अन्य उपकरणों की लागत में वृद्धि का भुगतान भी करना होता है जैसे बीज और किराए के मजदूर। इन सब कारणों से सरकार को प्रत्येक वर्ष खाद्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि की घोषणा करनी पड़ती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि से दालों और तिलहनों की तुलना में गेहूं, चावल और अन्य अनाजों पर संतुलित प्रभाव पड़ता है। दालों और तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद भी उत्पादक इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं होते।

किन्तु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा से घरेलू और विदेशी बाजारों में मूल्य सिगनल पहुंचते हैं जो भारत में दालों और तिलहनों की नियमित आपूर्ति करते हैं। दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कतिपय देशों से भारत में दालों का निर्यात किया जाता है। आयातित दालों और तिलहनों पर नियमित और अत्यधिक विश्वास करना ही दूसरा प्रमुख पहलू है जो खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है।

फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है इस कारण उनके मूल्य मौसम के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष बेमौसम वर्षा के कारण महाराष्ट्र में प्याज की फसल क्षतिग्रस्त हो गई जिस कारण पूरे देश में प्याज के मूल्य आसमान पर पहुंच गए।

फल और सब्जियों के मूल्यों में परिवर्तन इस कारण भी हो जाता है कि परिवहन में अड़चने, अपर्याप्त शीत भण्डार क्षमता, व्यापारियों की हेरा-फेरी, राज्यों का धीमी गति से कृषि विपणन सुधार करना और खाद्य जिंसों में फारवर्ड ट्रेडिंग के लिए केन्द्र का उदास रखैया।

बाजार में आवधिक और तेजी से परिवर्तित कारणों से फला और सब्जियों के मूल्यों को प्रभावित होने से नहीं रोका जा सकता। इनकी व्यवस्था केवल कुशल आपूर्ति नीतियों के माध्यम से की जा सकती है जैसे शीत भण्डारण की अच्छी वितरण चेन हो और भारत को इकलौते कृषि बाजार में परिवर्तित किया जाए।

प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह के प्रैस सलाहकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के माध्यम से इस वर्ष जनवरी में कहा गया कि 'वर्तमान मुद्रास्फीति का संचालन सब्जी और फलों के मूल्यों से हो रहा है और इसकी व्यवस्था करना अधिक कठिन है क्योंकि इन जिंसों को पब्लिक स्टाक के अन्तर्गत नहीं रखा जाता। मूल्यों में वृद्धि का प्रमुख कारण विलम्ब से वर्षा होना है जिससे प्याज की फसल प्रभावित हुई। दूध, अण्डों, मीट और मछली के मूल्यों में भी वृद्धि हुई क्योंकि अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है जिस कारण आय का स्तर बढ़ रहा है, इसके लिए कई समग्र कार्यक्रमों का संयुक्त प्रभाव है, ये सब मिलकर गरीब आदमी तक पैसा पहुंचा रहे हैं जिनकी खाद्य उपभोग की क्षमता बढ़ रही है।'

केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मूल्य अस्थिरता को समय और विनाशशील बाजार में कारगर ढंग से हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि अत्यधिक (बम्पर) उत्पादन की स्थिति में किसान हानि पर बिकी न करें और फसल कम होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को राहत भी पहुंचाई जा सके।

कार्यालयीन आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2009 में 7566 नियमित थोक बाजार और 20887 ग्रामीण प्राथमिक बाजार थे। एक ग्रामीण बाजार 116 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को देखता है जबकि राष्ट्रीय किसान कमीशन ने 80 किलोमीटर की सिफारिश की थी।

यह राज्य के कर्तव्यों को रेखांकित करता है कि अधिक ग्रामीण बाजार और नियमित थोक बाजार तैयार किए जाएं जिनमें शीत भण्डारण की सुविधा भी हो। यह उनके लिए अनुस्मारक भी है कि वे आधुनिक कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम को क्रियान्वित करें जिसे केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर, 2003 में आरंभ किया था। अभी तक केवल 7 राज्य ही इस मॉडल एक्ट को कारगर ढंग से क्रियान्वित कर रहे हैं।

जनगणना 2011 के परिणाम दर्शाते हैं कि 2001 से 2011 के दशक में देश की जनसंख्या में 181 मिलियन की वृद्धि हो चुकी है। महा पंजीयक और जनगणना आयुक्त का कहना है कि 'यह समग्र

वृद्धि ब्राजील की जनसंख्या से थोड़ी कम है जो विश्व में पांचवा अधिकतम जनसंख्या वाला देश है।

एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2070 में देश की जनसंख्या बढ़कर 170 करोड़ हो जाएगी जो वर्तमान में 121 करोड़ है यदि परिवार नियोजन की योजनाएं चालू गति से कियान्वित होती रही।

जैसे—जैसे देश प्रगति करता है और व्यक्तिगत आय बढ़ती है तो खाद्य जिंसों और प्रसंसाधित आहारों की मांग भी उसी दर से बढ़ेगी। आय और रहन स्तर में वृद्धि से उत्पन्न विकास के कारण खाद्य मूल्यों में वृद्धि होना भी एक पहलू है।

सरकार ने खाद्य मूल्य प्रबंधन समस्याओं को अपने लिए बढ़ा लिया है क्योंकि इसमें मानव उपभोग सहित विभिन्न उपयोगों के लिए खाद्यान्न का अलकोहल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरीज को भी इसके उपयोग करने की अनुमति दे दी है।

खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार उदासीन है क्योंकि इसने खाद्य जिंसों में फारवर्ड या वायदा कारोबार को रोका नहीं है। संसद से बाहर और संसद के अन्दर भी बार—बार खाद्यान्न में सट्टे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है किन्तु सरकार का मानना है कि खाद्य मुद्रास्फीति पर फारवर्ड ट्रेडिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

जिंसों के स्पाट मूल्यों पर फयूचर या फारवर्ड मूल्यों के प्रभाव पर अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन परस्पर विरोधी हैं। यह सत्य है कि वायदा कारोबार के अंतर्गत खाद्य मूल्यों में कुछ निवेशक पूरा लाभ अर्जित कर रहे हैं और वे खाद्य मुद्रास्फीति को और भड़का रहे हैं।

जून, 2010 में जारी एक नीति में यह कहा गया कि खाद्य एवं कृषि संघ का कहना है कि 'जिंसों का वायदा कारोबार उनकी तिथि समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप वायदा कारोबार उन निवेशकों को भी आकर्षित करता है जो जिंस में तो इच्छुक नहीं होते बल्कि सट्टे में कमाना उनका उद्देश्य होता है।

उत्पादकों को उनकी फसल का बढ़ा हुआ मूल्य देने के लिए केन्द्र सरकार ने नए कारोबार के अवसर जुटाए हैं जो सट्टेबाजों के लिए हैं और ये फारवर्ड कोन्ट्रैक्ट (रेग्लेशन) अमेंडमेंट बिल 2010 के माध्यम से जारी किए गए हैं। खाद्यान्न और जिंस डेरिवेटिव्स सहित वस्तुओं में विकल्प देने से अवसर उत्पन्न होंगे।

खाद्य वस्तुओं में फारवर्ड ट्रेडिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि इसे जारी रखना है और बढ़ाना भी है तो इसे डिलीवरी आधारित होना चाहिए न कि कागजी सौदों पर। अन्तर्राष्ट्रीय मोनिटरी फंड सहित सभी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय एजेंसियां इस बात से सहमत हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति के लिए बहुमुखी नीतियां होनी चाहिएं जो सरकार के प्रति जवाबदेह हों, ये लघुकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि की हो सकती हैं।

खाद्य मूल्यों में शीघ्र और अत्यधिक वृद्धि से न केवल गरीब आहत होता है बल्कि वह और गरीब हो जाता है और अन्य कई लोग भी निर्धनता रेखा से नीचे चले जाते हैं।

सरकार के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं जो यह पहचान कर सके कि कौन व्यक्ति गरीब है या खाद्य मुद्रास्फीति में प्रत्येक प्रतिशत की वृद्धि होने पर उसकी गरीबी और बढ़ती जाती है।

इस प्रकार खाद्य मुद्रास्फीति देश की गरीबी उन्मूलन योजनाओं की क्षमता पर लम्बा और गहरा प्रभाव डालती है। एशियन डिवलपमेंट बैंक का मानना है कि विकासशील एशिया में 10% की घरेलू आहार मूल्यों में वृद्धि से और 64.4 मिलियन लोग गरीबी में चले जाएंगे अथवा निर्धनता में इससे 1.9% बिन्दुओं की वृद्धि होगी।

एशियन डिवलपमेंट बैंक का मानना है कि रु. 56/- प्रतिदिन कमाने वाला गरीबी रेखा पर है। यदि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय पैमानों को माने तो हमारे यहां गरीबी से नीचे लोगों की संख्या लाखों में बढ़ जाएगी। इसके बदले में सरकार को लक्षित जनवितरण पद्धति के अन्तर्गत और आने वाले राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत और अधिक खाद्यान्न आवंटित करना होगा।

खरीद करने से खुले बाजार के मूल्यों में न केवल वृद्धि होगी बल्कि खाद्य आर्थिक सहायता बिल में भी वृद्धि होगी। अर्थशास्त्रियों को डर है कि उदार और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधिनियम को लागू करने से आहार की मांग बढ़ जाएगी और खुले बाजार के मूल्यों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा।

भारत में खाद्य आहारों की बढ़ती हुई मांग से यह पता चलता है कि खाद्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। इस प्रकार खाद्य मुद्रास्फीति न्यून पोषण और कुपोषण में मुख्य पहलू है जैसा अन्तर्राष्ट्रीय आहार नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी 2010 ग्लोबल हंगर की सूची में उल्लेख किया गया है।

100 प्वाइंट के पैमाने पर देशों को सूची में डाला गया है, 0 सर्वोत्तम अंक है (कोई भूखा नहीं) और 100 सबसे बदतर है। भारत को 67 पायदान पर रखा गया है और इसके अंक 24.1 हैं।

अक्तूबर 2010 में जारी ग्लोबल हंगर इन्डैक्स की विज्ञप्ति में कहा गया 'भारत में विश्व के 42% कमज़ोर, कम वजनी बच्चे हैं और 31% बोने बच्चे हैं।'

ग्लोबल हंगर इन्डैक्स के अंक का आधार 3 समान सूचक हैं। ये हैं न्यूनतम पोषण के लोगों का अनुपात, 5 वर्ष से कम बच्चों का अनुपात जो कम वजनी हैं और देश में बाल मृत्यु दर।

सरकार न्यून पोषण और कुपोषण जैसी योजनाओं के माध्यम से इस समस्या का समाधान चाहती है और इसके लिए मिड डे स्कूल मिल्ज को लक्षित पीडीएस, खाद्य मुद्रास्फीति के क्रियान्वयन से भी गैर खाद्य मुद्रास्फीति प्रेरित होती है। खाद्य और गैर खाद्य मुद्रास्फीति दोनों सहयोगी हैं जो एक दूसरे को बढ़ाती हैं।

इस वर्ष अप्रैल में आईएमएफ द्वारा जारी वर्किंग दस्तावेज के अनुसार 'खाद्य मुद्रास्फीति बहुत से देशों में गैर खाद्य मुद्रास्फीति के रूप में प्रसारित है और पुनः यह विकासशील अर्थव्यवस्था में भी प्रसारित है। अमीर और गरीब दोनों प्रकार के देशों में खाद्य मूल्यों के बढ़ने से गैर खाद्य मूल्यों में शोकस फैलता है। किन्तु अमीर देशों की तुलना में यह गरीब देशों में अधिक प्रभाव पैदा करता है: अमीर देशों में खाद्य मूल्यों में 1% शोक्स से गैर खाद्य मूल्यों में 0.15% वृद्धि की औसत बैठती है किन्तु गरीब देशों में यह औसत लगभग 0.3% है।'

समग्र मुद्रास्फीति से न केवल सरकार को उपभोक्ता के लिए सबसिडी बढ़ानी पड़ती है बल्कि कई अन्य उपाय भी किए जाते हैं जैसे मूल्य संवेदनशील जिंसों के निर्यात पर प्रतिबंध और खाद्य वस्तुओं के आयात को खोलना।

सस्ते आयात से सरकार को अस्थाई रूप से आलोचना से छुटकारा मिलता है किन्तु यह आयात किसानों के लिए दीर्घ कालिक नुकसान देने वाला होता है।

यह, गैर खाद्य मुद्रास्फीति के साथ कपल्ड, उत्पादकों को व्यापार से मिलने वाले छोटे से छोटे लाभ को भी समाप्त कर देता है जो न केवल कृषि बल्कि गैर कृषि क्षेत्रों से मिल सकता है।

मुद्रास्फीति का एक अन्य विपरीत प्रभाव यह है कि यह आर्थिक वृद्धि दर को कम करता है क्योंकि मूल्य नियंत्रण आर्थिक प्रभावित होती है और आंशिक रूप से उत्पादकता की निधियों को आर्थिक सहायता के रूप में बदल दिया जाता है।

अप्रैल में जारी एक रिपोर्ट 'ग्लोबल फूड प्राईसिस एण्ड डबलपिंग एशिया' शीर्षक के अन्तर्गत एडीबी का कहना है 'अनुकरणीय परिणामों से पता चलता है कि यदि वर्ष 2011 के दौरान विश्व

खाद्य मूल्यों में 30% वृद्धि होती है तो क्षेत्र के कुछ खाद्य आयात देशों में जीडीपी की वृद्धि 0.6% प्वाइंट तक बन्द हो सकती है। यदि विश्व खाद्य मूल्यों में 30% वृद्धि पर विश्व तेल मूल्यों में 30% की वृद्धि जोड़ दी जाए तो जीडीपी की वृद्धि दर 1.5% प्वाइंट तक कम हो सकती है, यह तुलना उनसे की जा रही है जिनकी बेस लाईन और खाद्य एवं तेल मूल्यों में वृद्धि नहीं होती है।'

दीर्घ कालिक स्तर पर खाद्य मुद्रास्फीति को कृषि में अधिकतम निवेश करके व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके लिए प्रमुख रूप से भूमि और जल संसाधनों की, फर्टीगेशन (ड्रिप सिंचाई पद्धति के माध्यम से तरल उर्वरक की उपयोगिता) की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा तथा नई किस्मों और उन्नत कृषि पद्धतियों के माध्यम से फसलों की बाधाओं को अलग रखना होगा। इन सभी उपायों के साथ-साथ किसानों को मूल्य प्रोत्साहन देने का प्रयास होना चाहिए और गरीबों को खाद्य आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी होगी।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि खाद्य मुद्रास्फीति को व्यवस्थित करने के सभी प्रयास विफल हो जाएंगे यदि जनसंख्या स्थिरता उस स्तर तक नहीं हुई जहां पर जनसंख्या वृद्धि रिप्लेसमेंट दर पर होती है।

संपादकीय

केन्द्रीय सरकार के द्वारा गरीबी रेखा को परिभाषित करने का अर्थ यह है कि अखिल भारतीय औसत उपभोग की लागत जिस पर कैलोरी के मानदंड खरे उतरते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है जबकि शहरी क्षेत्रों हेतु 2100 कैलोरी है। सरकार इन डाइट के मानदंडों को आर्थिक मूल्य प्रदान करती है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में इन कैलोरी को लेने के लिए मासिक व्यय रु. 356.3/- आता है और शहरी क्षेत्रों में रु. 538.6/- मासिक व्यय आता है, यह वर्ष 2004–05 के मूल्यों के अनुसार है। वह व्यक्ति जो इस मासिक व्यय को वहन नहीं कर पाता उसे गरीबी रेखा के नीचे माना गया है।

दिसम्बर, 2009 में प्रस्तुत रिपोर्ट में योजना आयोग ने अनुमानित गरीबी पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जिसमें ग्रामीण गरीबी रेखा को संशोधित करके रु. 446.68/- और शहरी गरीबी रेखा रु. 578.8/- कर दी गई, यह मूल्य वर्ष 2004–05 के अनुसार है। संशोधित परिभाषा का उपयोग करते हुए समूह ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुमानित औसत को बढ़ाकर कुल जनसंख्या का 37.2% कर दिया यह वर्ष 2004–05 में 28% था और इसकी गणना ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार की गई थी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में विलम्ब हुआ क्योंकि सरकार में मतभेद था कि कितने लोगों को खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत शामिल करें और प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की खाद्य वस्तुओं की मात्रा कितनी हो।

इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्श समिति ने नोट किया है कि राष्ट्रीय परामर्श समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए बड़ी मात्रा में घरेलू बाजार से एवं आयात के द्वारा खाद्य पदार्थों की खरीद करनी होगी ताकि जनसंख्या के 75% लोगों को आर्थिक सहायता की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। यह व्यवहारिक नहीं है।

हम निर्धनता को केवल सस्ता अनाज बांट कर ही समाप्त नहीं कर सकते। निर्धनता को समाप्त करने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ानी होगी। चीन में यह कार्य सफलतापूर्वक किया गया है और हमें भी वही करना चाहिए।

भारत कृषक समाज की शासकीय समिति की बैठक दिनांक 1 जून, 2011 को बेलगाम, (कर्नाटका) में हुई।

